पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-V

दिनांक- 28.05.2026

मिशन शक्ति 5.0-अलीगंज के पुरनिया क्षेत्र में बच्चियों को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में को सशक्त बनाने का अनूठा अभियान

थाना अलीगंज टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 28/05/2026 पुरनियां चौराहा थाना अलीगंज जनपद लखनऊ पर जाकर महिलाओं एवं बच्चियों को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में किया गया जागरूक ।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

अयोजक/आयोजन स्थल

जागरूकता अभियान में सम्मिलित पुलिस टीम थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।

- उप निरीक्षक रविन्द्र नाथ प्रजापति
- उप निरीक्षक शिवानी मिश्रा
- उप निरीक्षक उषा सिंह
- म0का0 पुनिता

स्थान- पुरनियां चौराहा, थाना अलीगंज, जनपद लखनऊ

प्रतिभाग-

जागरूकता अभियान में सम्मिलित पुलिस टीम थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।

- उप निरीक्षक रविन्द्र नाथ प्रजापति
- उप निरीक्षक शिवानी मिश्रा
- उप निरीक्षक उषा सिंह
- म0का0 पुनिता

स्थान- पुरनियां चौराहा, थाना अलीगंज, जनपद लखनऊ महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरुक।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाये जा रहे मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 28/05/2026 को थाना अलीगंज पुलिस द्वारा पुरनियां चौराहा क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाकर महिलाओं एवं बच्चियों को विभिन्न सुरक्षा उपायों एवं हेल्पलाइन सेवाओं के संबंध में जागरूक किया गया।

अभियान के दौरान महिलाओं एवं बच्चियों को महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी, यूपी कॉप एप आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। साथ ही उन्हें महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे 112, 1090, 181, 1076 एवं अन्य सहायता सेवाओं के बारे में अवगत कराया गया।

पुलिस टीम द्वारा महिलाओं एवं बच्चियों को साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया ठगी एवं डिजिटल अपराधों से बचाव के संबंध में जागरूक करते हुए सतर्क रहने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही साइबर हेल्पलाइन नंबर-1930 की जानकारी देते हुए किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल शिकायत दर्ज कराने हेतु जागरूक किया गया। अभियान के दौरान महिलाओं को किसी भी प्रकार की आपात स्थिति अथवा उत्पीड़न की स्थिति में बिना किसी संकोच के तत्काल पुलिस सहायता लेने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- महिलाओं एवं बच्चों में मिशन शक्ति व साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- हेल्पलाइन नंबरो के बारे में विस्तार पूर्वक समझाना।
- साइबर अपराधों के प्रति सजग करना।

मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम

मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चियों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सहायता सेवाओं के प्रति संपूर्ण रूप से सजग और सशक्त बनाना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से:

1. महिलाओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की पहचान और रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई।
2. महिला संबंधी सरकारी योजनाओं तथा हेल्पलाइन नंबरों (जैसे 1090, 181, 112, 1930 आदि) से अवगत कराया गया, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त की जा सके।
3. बच्चियों को बैड टच व गुड टच के प्रति सचेत किया गया और उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के गुर सिखाए गए।
4. महिला हेल्प डेस्क व मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका से परिचित कराकर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।
5. आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का संदेश देकर महिलाओं और बालिकाओं को स्वावलंबी बनने की दिशा में प्रोत्साहित किया गया।

इस प्रकार, यह कार्यक्रम महिला सुरक्षा, कानूनी जागरूकता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु एक सार्थक प्रयास साबित हुआ।

निष्कर्ष:

यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इसके माध्यम से न केवल महिलाओं और बच्चियों को उनके अधिकारों व सुरक्षा उपायों की जानकारी मिली, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी मिली। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु इस प्रकार के आयोजन भविष्य में भी जारी रखने की आवश्यकता है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-IV

दिनांक- 28.05.2026

मिशन शक्ति 5.0-समाज की नई चेतना, साइबर सुरक्षा है अब हमारी जिम्मेदारी!"

थाना कृष्णानगर द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के तहत अवध चौराहे पर जाकर महिलाओं और बच्चों को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्प डेस्क, साइबर अपराध, यातायात और महिला कल्याण योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देकर किया जागरूक।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही बहुप्रशंसित योजना **"मिशन शक्ति 5.0"** के तहत आज दिनांक **12 अक्टूबर 2025** को लखनऊ कमिश्नरेट के थाना कृष्णानगर मिशन शक्ति टीम द्वारा कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन पर विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी नवीनतम कड़ी, मिशन शक्ति 5.0, के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में, थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत अवध चौराहे पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आयोजक/आयोजन स्थान -

- महिला आरक्षी रीना यादव, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ
- पिंक पेट्रोल व एन्टीरोमियो टीम, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ
- थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत अवध चौराहे पर जाकर

प्रतिभागी: -

- महिला आरक्षी रीना यादव, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ
- पिंक पेट्रोल व एन्टीरोमियो टीम, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ
- थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत अवध चौराहे पर जाकर महिलाएं व बच्चों को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:

दिनांक 28.05.2026 को मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत लखनऊ कमिश्नरेट के थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत अवध चौराहे पर महिलाओं एवं बच्चों को जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।

इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं एवं बच्चों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता प्राप्त करने हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक किया गया। इनमें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, वीमेन पावर लाइन-1090, इमरजेंसी सेवा-112, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर अपराध हेल्पलाइन-1930, एंबुलेंस सेवा-102 एवं इमरजेंसी एंबुलेंस सेवा-108 के उपयोग एवं महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया।

इसके अतिरिक्त थाना कृष्णानगर में संचालित महिला सुरक्षा केंद्र एवं महिला हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली और उनकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या, उत्पीड़न अथवा शिकायत की स्थिति में वे बिना किसी संकोच के पुलिस सहायता प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा की गई, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को जागरूक किया गया। पुलिस टीम द्वारा महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ आगे आने, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन सेवाओं का तत्काल उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया।

मुख्य बिंदु:-

- थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा अवध चौराहे पर मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- महिलाओं एवं बच्चों को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों एवं महिला सुरक्षा संबंधी सेवाओं की जानकारी दी गई।
- महिला सुरक्षा केंद्र एवं महिला हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली से महिलाओं को अवगत कराया गया।
- महिलाओं को शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया।
- कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को जागरूक कर महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण का संदेश दिया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-III

मिशन शक्ति 5.0- सुरक्षा और जागरूकता ही है हमारी पहचान।

दिनांक- 28.05.2026

थाना आलमबाग क्षेत्रान्तर्गत चौकी क्षेत्र चन्दर नगर मे स्थित नटखेड़ा रोड़- चन्दर नगर मार्केट एवं इकोगार्डन पार्क, कैलाशपुरी क्षेत्र पर भ्रमणशील रहकर महिलाओं को किया गया जागरुक। महिलाओं एवं युवतियों को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा सरकारी हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में दी गई विस्तृत जानकारी।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही बहुप्रशंसित योजना **"मिशन शक्ति 5.0"** के तहत आज दिनांक **12 अक्टूबर 2025** को लखनऊ कमिश्नरेट के थाना **आलमबाग** क्षेत्र में विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

आयोजक टीम/आयोजन

मिशन शक्ति टीम-थाना आलमबाग,लखनऊ कमिश्नरेट

- **म0हे0का0 रीमा रावत**
- **म0का0 अमिता पाल**
- **म0का0 रागिनी प्रजापति**
- **म0का0 आरती शाक्या**
- **रि0म0आ0 स्वर्णिम सिंह**

स्थान- चन्दर नगर मार्केट एवं इकोगार्डन पार्क, कैलाशपुरी क्षेत्र, थाना आलमबाग, लखनऊ।

प्रतिभागी: -

मिशन शक्ति टीम-थाना आलमबाग,लखनऊ कमिश्नरेट

- **म0हे0का0 रीमा रावत**
- **म0का0 अमिता पाल**
- **म0का0 रागिनी प्रजापति**
- **म0का0 आरती शाक्या**
- **रि0म0आ0 स्वर्णिम सिंह**

स्थान- चन्दर नगर मार्केट एवं इकोगार्डन पार्क, कैलाशपुरी क्षेत्र, थाना आलमबाग, लखनऊ मे स्थित नटखेड़ा रोड़ पर महिलाओं को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक **28.05.2026** को पिंक बूथ एवं पिंक पेट्रोल इकोगार्डन व चन्दर नगर पर मौजूद महिला पुलिस कर्मियों द्वारा थाना आलमबाग क्षेत्रान्तर्गत चन्दर नगर स्थित मार्केट एवं कैलाशपुरी क्षेत्र स्थित इकोगार्डन पार्क में महिलाओं एवं बच्चों को जागरूक किया गया।

अभियान के दौरान महिलाओं एवं बच्चों को **महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, महिला हेल्प डेस्क, महिला सुरक्षा केन्द्र, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी सेवा, यूपी कॉप एप** एवं अन्य सुरक्षा सेवाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

साथ ही महिलाओं एवं बच्चों को **112, 1090, 1098, 181, 1076** सहित अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए आवश्यकता पड़ने पर तत्काल पुलिस सहायता लेने हेतु प्रेरित किया गया।

इसके अतिरिक्त उपस्थित महिलाओं एवं बच्चों को **साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया अपराध एवं डिजिटल सुरक्षा** के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए साइबर अपराध से बचाव के उपाय बताए गए तथा **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** की जानकारी प्रदान की गई।

मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं एवं बच्चों को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना, अपराध अथवा साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना देने एवं हेल्पलाइन सेवाओं का उपयोग करने हेतु जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का मुख्य संदेश

आधुनिक डिजिटल युग में बढ़ते खतरों को देखते हुए, इस कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। छात्राओं को साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन उत्पीड़न और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने के उपाय सिखाए गए। साथ ही, साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए **राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** के बारे में विस्तार से बताया गया और जागरूकता पंपलेट वितरित किए गए।

टीम ने थाना स्थानीय पर संचालित **महिला सुरक्षा केंद्र** एवं **महिला हेल्प डेस्क** के कार्यों के बारे में भी जानकारी दी और महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित होने हेतु प्रेरित किया।

निष्कर्ष एवं महत्व:

यह कार्यक्रम महिलाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और उन्हें पुलिस की सहायता तक आसान पहुँच प्रदान करने के मिशन शक्ति के व्यापक उद्देश्य को रेखांकित करता है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

दिनांक- 28.05.2026

मिशन शक्ति 5.0: "सुरक्षित महिला, सशक्त परिवार; जागरूक नारी, समृद्ध समाज।"

अखिलेश्वर मंदिर, शांतिनगर में जाकर महिलाओ व बच्चों की सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति के तहत किया गया विशेष कार्यक्रम, सुरक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर एवं 'यूपी-कॉप' (UP COP) आदि के बारे में जागरूक कर महिलाओं को सशक्त बनाने और सहायता प्रदान करने की एक पहल।

उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण और **पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के** मार्गदर्शन में 22 सितंबर 2025 से 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है।

लखनऊ पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जनपद के सभी 54 थानों में विशेष 'मिशन शक्ति केन्द्र' स्थापित किए हैं। यह निर्णय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ के मार्गदर्शन में "मिशन शक्ति 5.0" के तहत लिया गया है

आयोजक/आयोजन स्थल-

मिशन शक्ति टीम-थाना सरोजनीनगर, कमिश्नरेट लखनऊ।

- **महिला उ0नि0 पूजा यादव**
- **महिला उ0नि0 साधना शर्मा**
- **महिला उ0नि0 सुष्मिता सिंह**
- **महिला का0 ज्योति**

स्थान- अखिलेश्वर मंदिर, शांतिनगर, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ।

प्रतिभाग-

मिशन शक्ति टीम-थाना सरोजनीनगर, कमिश्नरेट लखनऊ।

- **महिला उ0नि0 पूजा यादव**
- **महिला उ0नि0 साधना शर्मा**
- **महिला उ0नि0 सुष्मिता सिंह**
- **महिला का0 ज्योति**

स्थान- अखिलेश्वर मंदिर, शांतिनगर, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ में जाकर महिलाओ एवं बच्चो को किया गया जागरुक

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक **28.05.2026** को थाना सरोजनीनगर, कमिश्नरेट लखनऊ की मिशन शक्ति टीम द्वारा अखिलेश्वर मंदिर, शांतिनगर क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के प्रति जागरूक किया गया।

अभियान के दौरान महिलाओं को **घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न एवं साइबर अपराध** से बचाव के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। साथ ही महिलाओं को **1090 वूमेन हेल्पलाइन, यूपी डायल-112, 181, 1076, 1098, 101 एवं साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता लेने हेतु प्रेरित किया गया।

इसके अतिरिक्त महिलाओं को **महिला हेल्प डेस्क, महिला पिंक बूथ, महिला सशक्तिकरण योजनाओं** एवं सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना अथवा अपराध होने पर बिना संकोच पुलिस सहायता लेने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई।

"मिशन शक्ति 5.0" के प्राथमिक उद्देश्य-

केंद्रीय दर्शन:महिलाओं के समग्र कल्याण को बढ़ावा देना, जिसमें उनकी सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

सुरक्षा और सहायता (रक्षा):

लक्ष्य: हिंसा की रोकथाम और कमी।

विधि: सुरक्षित वातावरण का निर्माण, त्वरित न्याय, कानूनी सहायता और पुनर्वास।

आर्थिक सशक्तिकरण (स्वावलंबन):

लक्ष्य: आर्थिक आत्मनिर्भरता।

विधि: कौशल विकास, उद्यमिता को बढ़ावा, रोजगार के अवसर, वित्तीय साक्षरता और बाजार से जोड़ना।

सामाजिक सशक्तिकरण (सम्मान):

लक्ष्य: लैंगिक समानता और अधिकारों की प्राप्ति।

विधि: शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण तक पहुंच, जागरूकता अभियान और निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं (सामाजिक, राजनीतिक) में भागीदारी।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन -I

मिशन शक्ति- हर बेटी सशक्त, हर नारी सुरक्षित।

महिला थाना द्वितीय पुलिस टीम द्वारा अस्ति क्रासिंग, थाना बीकेटी क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा साइबर अपराध पर किया जागरूक।

दिनांक- 28.05.2026

लखनऊ, श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ, श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के कुशल निर्देशन में *मिशन शक्ति 5.0* अभियान के तहत कमिश्नरेट लखनऊ में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण से संबंधित विविध जागरूकता कार्यक्रम निरंतर संचालित किए जा रहे हैं।

मिशन शक्ति के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल-

मिशन शक्ति टीम, महिला थाना द्वितीय लखनऊ कमिश्नरेट।

- *म0का0 रेनू राय*
- *म0का0 ज्योति सिंह*
- *का0 अमित कुमार*

स्थान- अस्ति क्रासिंग, थाना बीकेटी, लखनऊ।

प्रतिभाग

मिशन शक्ति टीम, महिला थाना द्वितीय लखनऊ कमिश्नरेट।

- *म0का0 रेनू राय*
- *म0का0 ज्योति सिंह*
- *का0 अमित कुमार*

स्थान- अस्ति क्रासिंग, थाना बीकेटी, लखनऊ क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

*मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक **28.05.2026** को महिला थाना द्वितीय, कमिश्नरेट लखनऊ की मिशन शक्ति टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत अस्ति क्रासिंग थाना बीकेटी क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया।*

*अभियान के दौरान महिलाओं को विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे **112, 1090, 181, 1076, 1098, 102 एवं 108** आदि के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए आवश्यकता पड़ने पर तत्काल पुलिस सहायता लेने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही महिलाओं को **महिला हेल्प डेस्क, महिला सुरक्षा केन्द्र, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी सेवा एवं यूपी कॉप एप** के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।*
*इसके अतिरिक्त महिलाओं एवं बालिकाओं को बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया अपराध एवं साइबर ठगी से बचाव के उपाय बताए गए तथा **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** की जानकारी दी गई। पुलिस टीम द्वारा महिलाओं को सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने एवं किसी भी प्रकार की प्रताड़ना अथवा अपराध होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने हेतु जागरूक किया गया।*
कार्यक्रम के दौरान सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के हित में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं जागरूक बनने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य: कार्यक्रम का उद्देश्य एवं महत्व:

यह कार्यक्रम छात्राओं को पुलिस व्यवस्था के प्रति विश्वास जगाने और उन्हें सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों से लैस करने की दिशा में एक सार्थक पहल था। महिला थाना द्वितीय की इस पहल से न केवल छात्राओं को जागरूक किया गया, बल्कि पुलिस-जनता के बीच की दूरी को कम करने में भी मदद मिली।

छात्राओं ने न केवल पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली को जाना बल्कि यह भी सीखा कि पुलिस नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है।

निष्कर्ष:

जागरूकता में वृद्धि: इस सत्र ने बच्चों को गुड टच और बैड टच की महत्वपूर्ण समझ प्रदान की, जो उन्हें सुरक्षित रहने और अनुचित व्यवहार की पहचान करने में सक्षम बनाएगी।

- **भावनात्मक रूप से सुरक्षित माहौल:** बच्चों द्वारा अपने सपने साझा करना इस बात का संकेत है कि कक्षा का माहौल भरोसेमंद और सुरक्षित था। इससे बच्चों के आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की क्षमता का पता चलता है।
- **सकारात्मक सहभागिता:** बच्चों की सक्रिय भागीदारी ने दर्शाया कि वे इस विषय को समझने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उत्सुक थे।
- **भविष्य के लिए आधार:** यह सत्र बच्चों के व्यक्तिगत सुरक्षा ज्ञान का एक मजबूत आधार तैयार करेगा। साथ ही, स्कूल द्वारा इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना एक प्रशंसनीय कदम है।

संक्षेप में, यह गतिविधि न केवल शैक्षिक थी बल्कि इसने बच्चों को भावनात्मक रूप से सशक्त भी किया, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-868
दिनांक-28.05.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- **थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा फर्जी अधिवक्ता बनकर अर्दली की ट्रेनिंग देने वाले आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **सरकारी नौकरी (जिला कोर्ट व सचिवालय) के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश।**

01-संक्षिप्त विवरण-

मुख्य अभियुक्त प्रदीप चौहान व उसके साथियों (अभिषेक कुमार सिंह, मो० मेराज, अजय सिंह) द्वारा स्वयं को लखनऊ जिला कोर्ट व सचिवालय का अधिकारी/पेशकार बताकर बेरोजगार युवकों को झांसे में लिया जाता था। इनके द्वारा वादी शिवम गौंड तथा उसके साथियों (रंजीत गौंड, अमित कुमार, रजनी, सूरज, राधिका व राहुल कुमार) से नौकरी लगवाने के नाम पर कुल 34 लाख रुपये हड़प लिए गए।

इसके उपरांत, C.S.C. बिल्डिंग, पुराना हाईकोर्ट लखनऊ के कमरा नंबर 0-307 में फर्जी ऑफिस खोलकर इन सभी को फर्जी नियुक्ति पत्र व सर्विस बुक की छायाप्रति देकर करीब 10-12 दिनों तक फर्जी ट्रेनिंग कराई गई। जब पीड़ितों को संदेह हुआ और उन्होंने पैसे वापस मांगे, तो दिनांक 27/05/2026 को समय करीब 18.30 बजे स्वास्थ्य भवन चौराहे पर अभियुक्त मो० मेराज व उसके 15-20 अज्ञात साथियों द्वारा पीड़ितों पर जानलेवा हमला कर दिया गया।

वादी मुकदमा व उनके साथियों द्वारा अभियुक्त मो0 मेराज पुत्र महबूब अली निवासी ग्रा0 व पो0 डी थाना बल्दीराय जिला सुल्तानपुर अमेठी अस्थायी पता मछलीमंडी निरालानगर डालीगंज हसनगंज उम्र 26 वर्ष को पकड़ लिया गया।

पुलिस को प्राप्त सूचना पर वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ पर मु0अ0सं0 129/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/308(5)/110 भा0न्या0सं0 थाना वजीरगंज लखनऊ पंजीकृत किया गया। अभियुक्त फर्जी अधिवक्ता मो0 मेराज पुत्र महबूब अली निवासी ग्रा0 व पो0 डी थाना बल्दीराय जिला सुल्तानपुर अमेठी अस्थायी पता मछलीमंडी निरालानगर डालीगंज हसनगंज उम्र 26 वर्ष को मौके से दिनांक 28.05.2026 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

02-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त मो0 मेराज पुत्र महबूब अली निवासी ग्रा0 व पो0 डी थाना बल्दीराय जिला सुल्तानपुर अमेठी अस्थायी पता मछलीमंडी निरालानगर डालीगंज हसनगंज उम्र 26 वर्ष द्वारा बताया गया कि मैं पैसे लेकर ट्रेनिंग देता था व मेरे कथित अधिवक्ता साथियों द्वारा पैसा लिया जाता था व मुझे भी इस कार्य के एवज में पैसा मिलता था।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.मो0 मेराज पुत्र महबूब अली निवासी ग्रा0 व पो0 डी थाना बल्दीराय जिला सुल्तानपुर अमेठी अस्थायी पता मछलीमंडी निरालानगर डालीगंज हसनगंज उम्र 26 वर्ष।

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0129/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/308(5)/110 बीएनएस थाना वजीरगंज लखनऊ।

05-बरामदगी विवरण –

- फर्जी नियुक्ति पत्र व सर्विस बुक (अर्दली एंव पोस्टमैन) की प्रतियां

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना वजीरगंज लखनऊ -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार त्रिपाठी थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।
3. का0 विजय पाल थाना वजीरगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-867

दिनांक-28.05.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-ठाकुरगंज

➢ **ठाकुरगंज पुलिस टीम द्वारा नाबालिग लड़के को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.04.2026 को वादिनी के द्वारा ठाकुरगंज पुलिस को तहरीरी सूचना दी गई कि विपक्षी के द्वारा वादिनी के पुत्र उम्र लगभग 17 वर्ष (कक्षा-9 का छात्र) को विपक्षी महिला एवं उसके पति के द्वारा अपने साथ बहला फुसलाकर ले जाने, नाबालिग से शारीरिक सम्बन्ध बनाने व मानसिक शोषण करने एवं रु0 10 लाख की मांग करने की गयी है।

उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-197/2026 धारा 115(2)/137(2)/308(7)/324(2) बीएनएस व 5(एल)/6 पाक्सो एक्ट थाना ठाकुरगंज लखनऊ बनाम आरोपी महिला व उसके पतिमुस्तकीम सिद्दिकी पुत्र अब्दुल जब्वाल निवासी 431/988 मोमिन नगर थाना सहादतगंज लखनऊ उम्र 26 वर्ष के पंजीकृत किया गया।

02-कार्यवाही का विवरण-

उक्त प्रकरण की विवेचनात्मक कार्यवाही एवं अभि0 की तलाश सुरागरसी पतारसी के क्रम में मुखबिर खास की सूचना के आधार पर आरोपी को आज दिनांक 28.05.2026 को ग्लोब कैफे के पास कैम्पवेल रोड थाना क्षेत्र ठाकुरगंज से समय प्रातः 06.40 बजे गिरफ्तार करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

03-पंजीकृत अभियोग (अनावरित अभियोग)-

1.मु0अ0सं0-197/2026 धारा 115(2)/137(2)/308(7)/324(2) बीएनएस व 5(एल)/6 पाक्सो एक्ट थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.मुस्तकीम सिद्दिकी पुत्र अब्दुल जब्वाल निवासी 431/988 मोमिन नगर थाना सहादतगंज लखनऊ उम्र 26 वर्ष

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. **प्रभारी निरीक्षक श्री ओमवीर सिंह चौहान थाना ठाकुरगंज लखनऊ।**
2. उ0नि0 रवीन्द्र कुमार प्रभारी चौकी बालागंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
3. हे0का0 अरूण कुमार मिश्रा थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-866

दिनांक-28.05.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा मा0 न्यायालय श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ से जिलाबदर घोषित दो अपराधियों को आदेश का उल्लंघन करने पर किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27-28.05.2026 की रात्रि में थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा कनकहा मोड़ पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि **ग्राम फत्तेखेड़ा निवासी मोहित कुमार एवं सारिख खान उर्फ शारिक, जिनके विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही प्रचलित है, चोरी-छिपे अपने घर पर आते-जाते रहते हैं तथा वर्तमान समय में अपने घर पर मौजूद हैं।** प्राप्त सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम द्वारा आवश्यक सतर्कता बरतते हुए तत्काल ग्राम फत्तेखेड़ा पहुंची, जहां मोहित कुमार के घर के बाहर दोनों अभियुक्त उपस्थित मिले।

1. मोहित कुमार पुत्र स्व० जगजीवनराम, उम्र करीब 29 वर्ष, निवासी ग्राम फत्तेखेड़ा मजरा कनकहा थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ। जिनके विरुद्ध मा० न्यायालय श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ द्वारा वाद संख्या 184(86)/2025 धारा 3 उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अंतर्गत आदेश **दिनांक 17.12.2025** से **06 माह हेतु जिला निकासन (जिलाबदर) पारित किया गया है।**
2. सारिख खान उर्फ सारिक उर्फ शारिक पुत्र संजय खान उर्फ अब्दुल, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी उपरोक्त। जिनके विरुद्ध वाद संख्या 54(09)/2026 धारा 3 उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अंतर्गत **आदेश दिनांक 13.05.2026 से 06 माह हेतु जिला निकासन (जिलाबदर) पारित किया गया है।**

पूछताछ के दौरान अभियुक्त सारिख खान ने बताया कि वह बकरीद त्यौहार मनाने हेतु घर आया था तथा मोहित कुमार ने बताया कि वह अपनी पत्नी से मिलने आया था। दोनों अभियुक्तों से बिना सक्षम आदेश के जनपद की सीमा में प्रवेश करने के संबंध में पूछताछ की गई, जिस पर दोनों द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी गई।

उक्त कृत्य उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होने के कारण दोनों अभियुक्तों को जुर्म धारा 3/10 उ0प्र0 गुंडा अधिनियम 1970 से अवगत कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताते हुए **समय करीब रात्रि 01:00 बजे गिरफ्तार किया गया।**

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मोहित कुमार पुत्र स्व० जगजीवनराम, उम्र करीब 29 वर्ष, निवासी ग्राम फत्तेखेड़ा मजरा कनकहा थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ।
2. सारिख खान उर्फ सारिक उर्फ शारिक पुत्र संजय खान उर्फ अब्दुल, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी उपरोक्त।

03-अभियुक्त सारिख खान उर्फ सारिक उर्फ शारिक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 195/15 धारा 323/452/427 भादवि थाना मोहनलालगंज लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 448/21 धारा 323/504/506 भादवि थाना मोहनलालगंज लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 381/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना मोहनलालगंज लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 284/23 धारा 323/392/411/504/506 भादवि 3(2)va SC ST act थाना नगराम लखनऊ।
5. मु0अ0सं0 238/24 धारा 354ख/323/506/452 भादवि व 67 आईटी एक्ट थाना मोहनलालगंज लखनऊ।
6. मु0अ0सं0198/26 धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

04-अभियुक्त मोहित कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0186/20 धारा 323/504/506 भादवि थाना मोहनलालगंज लखनऊ।
2. मु0अ0सं0205/20 धारा 436 भादवि थाना मोहनलालगंज लखनऊ।
3. मु0अ0सं0355/20 धारा 147/148/323/506 भादवि थाना मोहनलालगंज लखनऊ।
4. मु0अ0सं0544/24 धारा 115(2)/191(2)/324(4)/333/351(2)/352 बीएनएस थाना मोहनलालगंज लखनऊ।
5. मु0अ0सं022/24 धारा 147/148/323/427/504/506 भादवि थाना नगराम लखनऊ।
6. मु0अ0सं0198/26 धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

05-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0-198/26 धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री निमेष दूबे
2. उ0नि0 श्री मंगल यादव
3. का0 चन्द्रमौली यादव

पुलिस द्वारा जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-869
दिनांक-28.05.2026

जोन-उत्तरी/थाना-जानकीपुरम

➤ **बिजली बिभाग के कर्मियों के साथ मारपीट,गलौज,सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.05.2026 को थाना स्थानीय पर आवेदक श्री अशोक कुमार वर्मा पुत्र कृष्ण कुमार वर्मा निवासी - सर्वोदय नगर इन्दिरा नगर, लखनऊ(अवर अभियन्ता विद्धुत विभाग) द्वारा शिकायत कि गयी कि हम लोग विद्युत चोरी की शिकायत पर जाँच करने गये थे कि विपक्षीगणों द्वारा एक राय होकर, गाली गलौज, मारपीट करना व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना व लोकसेवक से मारपीट कर चोट पहुंचाना, लोक सेवक के कर्तव्य के निर्वाहन में बाधा डालना व कुत्ते से कटवाने के सम्बन्ध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया। तत्काल प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना स्थानीय पर नियमानुसार मु0अ0सं0-0097/2026 धारा 191(2)/115(2)/352/221/121(1)/121(2)/132/291 BNS बनाम 1.अजय दीक्षित पुत्र महेन्द्र दीक्षित व 04 अन्य नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री विकास सिंह को सुपुर्द किया गया।

02-कार्यवाही का विवरण-

घटना की गम्भीरता को देखते हुये तत्काल वादी का 180BNSS का बयान कर ,निरीक्षण घटनास्थल अन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी। घटना के सफल अनावरण एवं घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारी गण के आदेश निर्देश के क्रम में टीमों का गठन किया गया।

गठित पुलिस टीम द्वारा मुखविर खास की सूचना के आधार पर आज दिनांक 28.05.2026 को समय करीब 13.40 बजे बशिका ट्रेडर्स जानकीपुरम का परिसर नहर रोड जानकीपुरम लखनऊ से घटना उपरोक्त से सम्बन्धित नामित अभियुक्त अजय दीक्षित पुत्र महेन्द्र दीक्षित निवासी बशिका प्रापर्टी जानकीपुरम का परिसर नहर रोड जानकीपुरम लखनऊ को अन्तर्गत धारा 170/126/135 BNSS में गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थानो व जनपदो से जानकारी की जा रही है । तथा अन्य वांछित अभियुक्तों की तालाश जारी है, जल्दी ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

03-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर अपनी गलती की मांफी मांगते हुए जुर्म स्वीकार करते हुए बयान अंकित कराया गया।

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0-0097/2026 धारा 191(2)/115(2)/352/221/121(1)/121(2)/132/291 BNS थाना जानकीपुरम, लखनऊ।

05-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अजय दीक्षित पुत्र महेन्द्र दीक्षित निवासी बशिका प्रापर्टी जानकीपुरम का परिसर नहर रोड जानकीपुरम लखनऊ (व्यवसाय-प्रापर्टी डीलर)

06-अभियुक्त अजय दीक्षित उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-0183/2017 धारा 147/323/384/420/ 447/467/468/504/506 भादवि थाना जानकीपुरम,लखनऊ।

07-गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना जानकीपुरम लखनऊः-

1. उ0नि0 श्री विकास सिंह
2. उ0नि0 श्री दुर्गविजय सिंह
3. उ0नि0 श्री मुकुल आनन्द
4. हे0का0 सर्वेश कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-870

दिनांक-28.05.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गोमतीनगर विस्तार

➤ **थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

मु0अ0सं0 0098/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ बनाम 1.शिवा प्रताप सिंह उर्फ शिवा सिंह पुत्र स्व0 सत्य कुमार सिंह निवासी बजरंग विहार कालोनी अतरौली थाना गुडम्बा लखनऊ वर्तमान पता 197/6 निकट रामा हास्पिटल जानकीपुरम थाना गुडम्बा लखनऊ उम्र 23 वर्ष का संगठित आपराधिक गिरोह है, जिसका यह गैंगलीडर है। इसके गिरोह में गैंग के सदस्य 2.मुकुल लोधी पुत्र छोटेलाल निवासी 143 अटल नगर साकेत स्कूल के पास थाना गुडम्बा लखनऊ उम्र 25 वर्ष 3.गौरव शर्मा पुत्र अजय कुमार शर्मा निवासी बहादुर पुर यूनिटी सिटी कल्यान पुर थाना गुडम्बा लखनऊ उम्र 22 वर्ष, 4.शिवम रावत उर्फ शिवम राज पुत्र राजेश रावत निवासी मडियाँव गांव, जानकीपुरम, लखनऊ उम्र-23 वर्ष पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना श्रीमान एसीपी गोमतीनगर लखनऊ महोदय के आदेशानुसार प्र0नि0 गोमतीनगर श्री बृजेशचन्द्र तिवारी द्वारा की जा रही है।

मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त शिवम रावत उर्फ शिवम राज पुत्र राजेश रावत निवासी मडियांव गांव थाना जानकीपुरम लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष को आज दिनांक 28.05.2026 को समय 10.30 बजे- स्थान मडियांव गांव थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ से नियमानुसार गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर दाखिल कर अभियुक्त शिवम रावत उर्फ शिवम राज उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02-पंजीकृत अभियोग (अनावरित अभियोग)-

1.मु0अ0सं0-098/2026 धारा-3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- शिवम रावत उर्फ शिवम राज पुत्र राजेश रावत निवासी मडियांव गांव थाना जानकीपुरम लखनऊ उम्र 23 वर्ष

04-आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 496/2019 धारा 323, 506 भादवि थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 324/2022 धारा 392/411/414 भादवि थाना महानगर जनपद लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 294/2022 धारा 392/411 भादवि थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 316/2022 धारा 392/411 भादवि थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. अति0 निरीक्षक श्री आनन्द भूषण बेलदार थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ
2. उ0नि0 श्री आयुष यादव, थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
3. हे0का0 रामू यादव थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
4. का0 रवीन्द्र कुमार थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-871
दिनांक-28.05.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-बाजारखाला

- **पत्नी की गला रेतकर हत्या करने वाले आरोपी पति को किया गया गिरफ्तार**
- **बाजारखाला पुलिस ने 24 घंटे के भीतर महिला हत्याकांड का किया खुलासा**
- **हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.05.2026 को थाना बाजारखाला पुलिस को दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ईदगाह गेट नं0-12 के सामने एक महिला घायल अवस्था में बेहोशी की हालत में पड़ी है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची तथा घायल महिला को एम्बुलेंस की सहायता से केजीएमयू ट्रामा सेंटर पहुँचाया गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा महिला को मृत घोषित कर दिया गया।

घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच एवं मृतका के परिजनों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि मृतका चाँदनी पुत्री मो0 शफीक निवासी तकिया चाँद अलीशाह थाना बाजारखाला लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष की शादी लगभग 7 वर्ष पूर्व मो0 शाहीद पुत्र मो0 रफीक निवासी रामनगर धोबीघाट थाना बाजारखाला लखनऊ के साथ हुई थी। पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था। इसी विवाद के चलते अभियुक्त मो0 शाहीद द्वारा धारदार चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई।

वादी मो0 शफीक पुत्र स्व0 इलाही बख्श निवासी तकिया चाँद अलीशाह ऐशबाग थाना बाजारखाला लखनऊ की तहरीर के आधार पर थाना बाजारखाला पर मु0अ0सं0-0104/2026 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज, परिजनों के बयान एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर **अभियुक्त मो0 शाहीद को ऐशबाग थाना बाजारखाला के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल धारदार चाकू भी बरामद किया गया।**

अभियुक्त को दिनांक 27.05.2026 को समय करीब 20:10 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पूर्ण पालन किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

1. मो0 शाहीद पुत्र मो0रफीक निवासी रामनगर धोबीघाट थाना बाजारखाला लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष।

03-गिरफ्तारी स्थानः-

ऐशबाग थाना बाजारखाला लखनऊ।

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0-0104/2026 धारा 103(1)BNS थाना बाजारखाला लखनऊ।

05-बरामदगी-

- आलाकत्ल हथियार चाकू बरामद।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. **प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजेश सिंह थाना बाजारखाला लखनऊ**
2. उ0नि0 अनुज प्रताप सिहं थाना बाजारखाला लखनऊ
3. उ0नि0 राजेन्द्र प्रताप सिहं थाना बाजारखाला लखनऊ
4. का0 विनय कुमार सिहं थाना बाजारखाला लखनऊ
5. का0 संदीप कुमार शर्मा थाना बाजारखाला लखनऊ